राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक :– प.5(1)मं.म./2018 जयपुर, दिनांक :– 18.10.2021

–: आदेश :–

मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प. 5(1)मं.म./2019दिनांक 19.02 2020 द्वारा नगरीय विकास विभाग के लंबित प्रकरणों के निष्तारण हेतु गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति को, वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2018 के तहत राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम की धारा 58 के उपबंधों की प्रयोज्यता में छूट संबंधी निम्नांकित 05 प्रकरणों के निस्तारण हेतु अधिकृत किया जाता है :–

क्र.स.	विभाग	आई.डी. संख्या	प्रकरण
1.	युवा मामले एवं खेल विभाग	101805134 33200755	उदयपुर में इन्डोर हॉल का निर्माण तथा एस.एम.एस. स्टेडियम, जयपुर में बहुमंजिला खेल भवन का निर्माण के संबंध में वित्त विभाग द्वारा नियमों की पालना में कमी की कार्योत्तर सहमति हेतु वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 16.01.2018 के अनुसरण में अधिकृत मंत्रिमण्डलीय उप समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।
2.	जल संसाधन विभाग	102102498	उपापन में अतिरिक्त मदों एवं अतिरिक्त मात्रा की निर्धारित सीमा तक की सक्षम स्वीकृति विभाग द्वारा जारी की जा चुकी है। Construction/Remedial measures work of breached and unbreched portion of Garada Dam कार्य हेतु 7288.43 लाख रू. का कार्यादेश जारी किया गया। राज. लोक उपापन में पारदर्शिता नियम, 2013 के नियम 73 में प्रस्तावित अतिरिक्त मदों एवं अतिरिक्त मात्रा हेतु निर्धारित सीमा से अधिक के उपापन से पूर्व नियमों में छूट चाही गयी है।
3.	कृषि विभाग	102100547	वर्ष 2017–18 में भारत सरकार के उपक्रम एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनरल्स इण्डिया लिमिटेड द्वारा 443 मैट्रिक टन जिप्सम की आपूर्ति राजफेड को माह अप्रेल,2018 में की गई जिसकी राशि रूपये 4,12,765/– है, का भुगतान किया जाना है। भुगतान आयुक्तालय स्तर से किया जाना है। आयुक्तालय द्वारा आरटीपीपी रूल्स के नियम 32 के एसओ 135 की सामान्य शर्त संख्या 04 का ध्यान नहीं रखने के कारण वित्त विभाग की स्वीकृति के अभाव में उक्त राशि का भुगतान नहीं किया जा सका।

Contd - - 2

4.	स्वायत्त शासन विभाग	102100240	नगर विकास न्यास, कोटा द्वारा विकास नगर एन.एच. 76 में पानी की निकासी हेतु नाला निर्माण कार्य का डेविएशन स्टेटमेन्ट व समयावधि प्रकरण में आरटीपीपी एक्ट एवं नियम की अवहेलना के क्रम में प्रकरण समिति के समक्ष निर्णयार्थ रखा जाना है।
5.	नगरीय विकास विभाग	–	मंत्रिमण्डल सचिवालय के आदेश क्रमांक प.5(1)मं.म./2019 दिनांक 19.02.2020 द्वारा गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड कमेटी की सम्पन्न द्वितीय बैठक दिनांक 14.02.2021 के कार्यवाही विवरण के एजेण्डा आईटम संख्या–13 के क्रम में जोधपुर विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 25.11.2020 की अनुशंषा के अनुसार समिति के समक्ष निर्णयार्थ प्रस्तुत प्रकरणों का निस्तारण की कार्यवाही किये जाने बाबत।

आज्ञा से,

(गायत्री राठौड)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर ।
2. प्रमुख सचिव,मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
3. विशिष्ठ सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण/राज्यमंत्रिगण ।
4. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान ।
5. प्रमुख शासन सचिव,वित्त विभाग ।
6. प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, नगरीय विकास/कृषि/जलसंसाधन/युवा मामले एवं खेल विभाग/स्वयत्त शासन विभाग को अधिसूचना दिनांक 11.09.2018 एवं आदेश दिनांक 19.02.2020 की प्रति सहित।
7. रक्षित पत्रावली ।

प्रमुख शासन सचिव